(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in
TWITTER : @rahulreports

पीठासीन : राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

SECOND APPEAL NO: A-3286/REWA/2020 एवं

- सी/0205/रीवा/2021
- सी/0221/रीवा/2021
- सी/0222/रीवा/2021
- सी/0223/रीवा/2021
- सी/0235/रीवा/2021
- सी/0236/रीवा/2021
- सी/0237/रीवा/2021
- सी/0238/रीवा/2021

SHIVANAND DWIVEDI/ शिवानंद द्विवेदी — **अपीलकर्ता/APPELLANT**

VERSUS — **प्रतिवादीगण/ RESPONDENT**

1. श्री एम0एन0एच0 खान,
लोक सूचना अधिकारी/
फूड कंट्रोलर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
जिला–रीवा म0प्र0

2. श्री विजय कुमार पाण्डेय,
लोक सूचना अधिकारी (धारा 5(4) के तहत)
उपायुक्त सहकारिता विभाग, रीवा
जिला–रीवा म0प्र0

3. श्री आर0एस0 भदौरिया,
लोक सूचना अधिकारी (धारा 5(4) के तहत)
महाप्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक, रीवा
जिला–रीवा म0प्र0

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in
TWITTER : @rahulreports

RTI APPLICATION FILED ON 06/02/2020	FIRST APPEAL FILED ON 17/06/2020	SECOND APPEAL FILED ON 02/09/2020
PIO REPLIED ON 11/12/2020 14/12/2020 17/12/2020	FIRST APPELLATE AUTHORITY ORDER 17/07/2020	FIRST HEARING ON 07/12/2020 ORDER ON 07/12/2020 WHATSAPP/PHON 1st SCN HEARING ON 18/12/2020 APPELLANT– PRESENT CURRENT PIO – PRESENT DEEMED PIO (1) – PRESENT DEEMED PIO (2) – PRESENT ORDER ON 18/12/2020 FINAL ORDER ON 25/02/2022

(1) उपस्थिति :

प्रकरण में दिनांक **18/12/2020** को आयोग के समक्ष नियत एस.सी.एन. सुनवाई में **PIO/श्री** एम.एन.एच. खान, फूड कंट्रोलर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जिला रीवा, डीम्ड पीआईओ 1 श्री विजय कुमार पांडे, उपायुक्त, सहकारिता विभाग जिला रीवा तथा डीम्ड पीआईओ 2 श्री आर. एस. भदौरिया, महाप्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक जिला रीवा– **(म0 प्र0)** उपस्थित।

प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 18/12/2020 में सुनवाई उपरांत प्रकरण में निर्णय सुरक्षित रखा जाकर आदेश दिनांक 21/03/2024 द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है –

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
21/03/2024

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

(2) RTI के तहत मांगी गई जानकारी :-

आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक 06/02/2020 से PIO/श्री एम.एन.एच.खान, फूड कंट्रोलर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कलेक्ट्रेट बिल्डिंग जिला रीवा- (म0 प्र0), से निम्न 3 बिंदुओं की जानकारी चाही गई थी :-

(1) रीवा जिले में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जो शासकीय राशन की दुकान संचालित हो रही हैं उन में कार्य करने वाले कोटेदार की तनख्वाह वर्तमान स्थिति में प्रतिमाह कितनी देर है। क्या यह तनख्वाह प्रतिमाह दी जाती है अथवा छह माही या वार्षिक दृष्टि से यह भी जानकारी देने का कष्ट करें।

(2) रीवा जिले के समस्त कोटेदारों के नाम, उनके कार्यरत राशन की दुकान की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) रीवा जिले में उन कोटेदारों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट जिन्हें 6 माह और इससे अधिक समय से तनख्वाह नहीं मिली है तनख्वाह नहीं मिलने से तात्पर्य यह है कि कोटेदारों/सेल्समैन के हाथ में पेमेंट ना पहुंची हो। यह संभव है कि खाद्य विभाग प्रतिमाह पेमेंट भेज रहा हूं पर क्या सहकारिता विभाग/संबंधित सहकारी बैंक सेल्समैन को प्रतिमाह पेमेंट दे रहा है, ऐसे लंबित पेमेंट अथवा पेमेंट ना पाने वाले सेल्समैन की रीवा जिले के संदर्भ में सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) सूचना आयोग में अपील का आधार :-

आरटीआई आवेदन दि. 06/02/2020 में 30 दिन बीत जाने के बाद भी लोक सूचना अधिकारी तथा पीआईओ 1, (धारा 5(4) के तहत), पीआईओ 2 (धारा 5(4) के तहत) के द्वारा जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई है। आवेदक को निर्धारित समय सीमा में जानकारी प्राप्त न होने के कारण आवेदक द्वारा दि0 17/06/2020 को प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी/कार्यालय कलेक्टर, रीवा के समक्ष दायर की गयी।

प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दि0 17/07/2020 में PIO/श्री एम.एन.एच.खान, फूड कंट्रोलर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कलेक्ट्रेट बिल्डिंग जिला रीवा को अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चाही गयी वांछित जानकारी निर्धारित शुल्क जमा करा कर वांछित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति 15 दिवस के अंदर प्रदाय करने के आदेश उपरांत भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय नहीं की गयी। तत्पश्चात आवेदक को जानकारी प्राप्त न होने के कारण आवेदक द्वारा द्वितीय अपील दि0 02/09/2020 को आयोग के समक्ष दायर की गयी।

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

(4) धारा 18 के तहत प्राप्त शिकायत :- (सी-1009/रीवा/2020)

आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक **21/12/2020** को आयोग के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम **2005** की धारा **18** के तहत शिकायत प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदक द्वारा रीवा जिला सहित मध्यप्रदेश के समस्त जिलो में शासकीय राशन की दुकानों में कार्यरत सेल्समैनों के वेतन पत्रक की जानकारी को आरटीआई एक्ट की धारा **4** के तहत वेबसाइट, पोर्टल पर सार्वजनिक किये जाने की मांग की हैं।

धारा 18 के तहत प्राप्त शिकायतः (सी-0398/ रीवा/2023)

अनाज उपार्जन में शामिल सहकारी समितियों द्वारा आरटीआई में जानकारी देने से इंकार-

आवेदक द्वारा पूर्व में सहकारी समितियों में लगाई गयी **RTI** पर जानकारी चाही गयी थी लेकिन जब भी सहकारी समितियों अथवा सहकारी बैंकों अथवा डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय सहकारिता विभाग में **RTI** दायर की जाती हैं तो उपरोक्त बैंक प्रबंधक एवं डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा **RTI** को समितियों में फॉरवर्ड कर दिया जाता है. इस विषय में समितियों का जवाब होता है कि उन पर **RTI** अधिनियम लागू नहीं होता है।

उपरोक्त के तारतम्य में लेख है कि आज वर्तमान समय में सरकार द्वारा फंडेड योजनायें जैसे- धान/गेहूं उपार्जन से लेकर फसल बीमा योजना, व्याज अनुदान, प्रासंगिक व्यय, **PDS** खाद्यान वितरण, सेल्समेन/कोटेदार को दिया जाने वाला पेमेंट और कमीशन, एवं अन्य किसानों ग्रामीणों से सम्बंधित विभिन्न शासकीय योजनायें संचालित करवाई जा रही हैं जो सीधे सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों से जुड़ी हुई हैं जिनके लिए शासन स्तर से निरंतर निगरानी और फंडिंग की जाती है. के तारतम्य में स्पष्ट है कि सहकारी समितियों में भी लोक प्राधिकारी नियुक्त करते हुए लोक सूचना अधिकारी बैठाए जाएँ जिससे किसानों और आम नागरिकों को मिलने वाली योजनायों के नाम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हो सके, वर्तमान समय में मप्र की सहकारी समितियों में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त न होने से व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें आती रहती हैं. उदाहरण के तौर पर रीवा जिले में ही अकेले डभौरा में करोड़ों का लेनदेन को लेकर घोटाला सामने आया था जिसमे **EOW** मप्र शासन द्वारा **FIR** दर्ज करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाहियां भी प्रचलित है और इसी मामले में कई बैंक मैनेजर सहित अन्य कर्मचारी जेल भी जा चुके हैं. इसी प्रकार कई योजनायों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायत समय- समय पर होती है लेकिन समितियों में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त न होने एवं का **RTI** न लागू होने का बहाना बनाकर समितियां और सहकारी बैंक अपीलार्थियौ और आम ग्रामीण नागरिकों किसानों को कोई भी जानकारी देने से मना कर देते हैं जिससे भ्रष्टाचार के कई मामले दबे रह जाते हैं और पारदर्शिता और जवाबदेही को गहरा आघात लगता है जो शासन की मंशा के विपरीत भी है.

अतः माननीय सूचना आयुक्त महोदय जी से निवेदन है की उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित मामले में संज्ञान लेते हुए मप्र की समस्त सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों में **RTI** कानून के तहत लोक प्राधिकारी लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाने का कष्ट करें जिससे आमजन/ग्रामीणी किसानों को शासन की योजनाओं की जानकारी मिलती रहे एवं समितियों में भी पारदर्शौं व्यवस्था एवं जवाबदेही स्थापित की जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

(4) (i) सूचना आयोग में धारा 18 के तहत शिकायत का आधार :-

(1) आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4 के तहत स्वतः सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान हैं। वेतन की जानकारी न प्रदर्शित करना, आरटीआई एक्ट का उल्लंघन हैं।
(2) मध्यप्रदेश शासन के किसी भी विभाग में सेल्समैनों के वेतन पत्रक की जानकारी वेबसाइट, पोर्टल पर प्रदर्शित न होना।
(3) वेतन की जानकारी में पारदर्शिता का अभाव
(4) सेल्समैनों को वेतन न मिलना, जीवन जीने का अधिकार, लेबर एक्ट तथा मानवाधिकार का उल्लंघन हैं।
(5) सेल्समैनों को वेतन न दिये जाने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी सकारात्मक व्यवस्था में भ्रष्टाचार का सृजन होना।

(4) (ii) धारा 18 के तहत प्राप्त अन्य शिकायतें :-

- सी/0205/रीवा/2021
- सी/0221/रीवा/2021
- सी/0222/रीवा/2021
- सी/0223/रीवा/2021
- सी/0235/रीवा/2021
- सी/0236/रीवा/2021
- सी/0237/रीवा/2021
- सी/0238/रीवा/2021

आयोग उपरोक्त समस्त प्रकरणों में जानकारी में समानता, जानकारी एक ही विभाग से संबंधित होने एवं जानकारी में व्यापक लोकहित होने के कारण आयोग उक्त समस्त प्रकरणों को एक साथ प्रचलन में लेता है।

(5) तथ्य :

(A) आयोग द्वारा सुनवाई दि0 07/12/2020 को श्री एम.एन.एच. खान, लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से आरटीआई एक्ट की धारा 7(1) तथा 7(8)(2) एवं 7(8)(3) के उल्लंघन करने के कारण उन्हें आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20(1) के तहत राशि रू0 25,000/- के जुर्माने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। श्री एम.एन.एच. खान, लोक सूचना अधिकारी द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रतिवेदन दिनांक 17/12/2020 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में निम्नानुसार लेख किया गया है :–

1- कि शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन दिनांक 6/2/2020 से चाही गई जानकारी कार्यालय में मौजूद ना होने से दिनांक 11/02/2020 को आवेदन को उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा तथा महाप्रबंधक केंद्रीय जिला सहकारी मर्यादित बैंक रीवा को अंतरित कर दिया गया था।

2- माननीय आयोग के आदेश दिनांक 08/12/2020 के परिपालन में लोक सूचना अधिकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग जिला रीवा के द्वारा क्रमशः उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा एवं महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा को कार्यालय पत्र क्रमांक 1205/दिनांक 09/12/2020 को जारी कर आवेदक श्री शिवानंद द्विवेदी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त कराने के लिए तथा उसकी एक प्रति लोक सूचना अधिकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को भी प्रदान करने हेतु आदेशित किया था ताकि आवेदक को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए माननीय राज्य सूचना आयोग को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सके किंतु उपरोक्त जानकारी प्राप्त नहीं होने से आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। यहां उल्लेखनीय है कि सभी समितियां एवं भंडारण उपायुक्त सहकारिता के अधीन है तथा अधिकांश सहकारी समितियों में बैंक केडर के समिति प्रबंधक पदस्थ हैं जो जिला सहकारी बैंक के अधीन है सहकारिता विभाग के अधिकारी भी सहकारी समितियों में प्रशासक के रूप में पदस्थ है जो उपायुक्त सहकारिता के अधीन हैं जिनके द्वारा उक्त जानकारी उपलब्ध करायी जानी थी।

3- लोक सूचना अधिकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की भूमिका के संबंध में अनुरोध है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्री आर एस ठाकुर का स्वर्गवास कोरोना से दिनांक 07/09/2020 को हो गया था उक्त प्रकरण स्वर्गीय आर एस ठाकुर की अवधि का है, आवेदक ने रीवा जिले में 02/02/2020 को जिला आपूर्ति नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। उक्त प्रकरण आवेदक के संज्ञान में आने पर आवेदक लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता श्री शिवानंद द्विवेदी को बिंदु क्रमांक 2 की जानकारी प्रदान की गई है। अतः माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय से अनुरोध है कि ₹25000 जुर्माने की कार्यवाही से मुक्त किया जावे।

4- श्री एम.एन.एच.खान ने आयोग को बताया कि दुकानों को लाइसेंस देने, दुकान आवंटन करने, तथा दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी के पास होते हैं। मुझे केवल नगरीय क्षेत्र मुख्यालय को छोड़कर बाकी कोई भी अधिकार नहीं है। जिला रीवा में लगभग 900 राशन दुकाने संचालित हो रही है, जिनमे से लगभग 100 दुकान स्व सहायता समूहों के माध्यम से, लगभग 700 राशन दुकाने सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से तथा लगभग 100 दुकाने नगरीय क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। भंडार, स्व सहायता समूह और अन्य संस्थाएं जो चलाते हैं। शासन का आदेश है कि ₹70 कमीशन काट के ₹30 क्विंटल देते हैं। शासन सेल्समैन को अलग से वेतन की राशि

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

नहीं प्रदान नहीं कि जाती हैं ₹70 कमीशन में ही स्व सहायता समूह और अन्य संस्था द्वारा उसी कमीशन से सेल्समेनों को वेतन प्रदान किया जाता हैं।

5- सेवा सहकारी समितियों जो राशन की दुकान संचालित करती हैं, उनको शासन द्वारा ₹8400 प्रति दुकान कमीशन बारदाना और केरोसीन में ₹। प्रति लीटर अतिरिक्त कमीशन प्रदान किया जाता हैं। यदि एक विक्रेता द्वारा राशन की दुकान (पीडीएस) का संचालन करता है तो ₹2400 अतिरिक्त कमीशन उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार से राशि समितियों को मिलती है और समितिया वेतन सेल्समेनो को प्रदान करती हैं। डीआरसीएस की सहमति से सेल्समैन के वेतन का निर्धारण होता है। श्री खान ने कथन किया कि आरटीआई का प्रश्न भंडारण से संबंधित नहीं है सेवा सहकारी समिति से संबंधित है क्योंकि भंडारों को पूरी राशि मिल रही है। तथा सेवा सहकारी समितियां जो समिति के माध्यम से दुकानें चला रही हैं। सहकारी समिति सेल्समैनों को वेतनप्रदान करती हैं।

(B) आयोग द्वारा सुनवाई दि0 07/12/2020 को श्री विजय कुमार पांडेय, (धारा 5(4) के तहत)लोक सूचना अधिकारी/उपायुक्त, सहकारिता रीवा द्वारा स्पष्ट रूप से आरटीआई एक्ट की धारा 7(1) तथा 6(3) के उल्लंघन करने के कारण उन्हें आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20(1) के तहत राशि रू0 25,000/– के जुर्माने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। श्री विजय कुमार पांडेय द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रतिवेदन दिनांक 11/12/2020 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में निम्नानुसार लेख किया गया है :–

1- आवेदक श्री शिवानंद द्विवेदी के द्वारा खाद्य नियंत्रक रीवा के समक्ष आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। खाद्य नियंत्रक रीवा ने पत्र क्रमांक 16 दिनांक 11 फरवरी 2020 द्वारा आवेदन को अंतरित कर उपायुक्त सहकारिता एवं महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा को आवेदक को जानकारी प्रदान करने हेतु लेख किया गया। उपरोक्त पत्र कार्यालय उपायुक्त सहकारिता में दिनांक 18 फरवरी 2020 को प्राप्त हुआ। कार्यालय उपायुक्त सहकारिता रीवा में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी का संधारण ना होने से आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा

को पत्र क्रमांक 362 दिनांक 26 फरवरी 2020 को लेख किया गया। तत्पश्चात पुनः कार्यालय पत्र क्रमांक 803 दिनांक 25 जून 2020 को स्मरण पत्र भी जारी किया गया।

2- महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा ने पत्र क्रमांक 646 दिनांक 8/07/2020 तथा पत्र क्रमांक 2836 दिनाँक 30/03/2020 द्वारा उपायुक्त सहकारिता रीवा को तथा पत्र क्रमांक 2612 दिनांक 02/03/2020 के द्वारा खाद्य नियंत्रक रीवा को लेख कर अवगत कराया गया कि सहकारी बैंक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आती हैं। उक्त अनुसार जानकारी प्राप्त होने पर समग्र प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त सहकारिता रीवा द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 867 दिनांक 04/07/2020 खाद्य नियंत्रक रीवा को प्रेषित करते हुए लेख किया कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी कार्यालय उपायुक्त

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

सहकारिता रीवा में संधारित नहीं होती है। तथा महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा के उत्तर अनुसार सहकारी बैंक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आती हैं।

3- आवेदक श्री शिवानंद द्विवेदी के द्वारा पेश आवेदन में चाहे गई जानकारी की विषय वस्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्यगत उचित मूल्य दुकान से संबंधित है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र क्रमांक /F7-19(2-2)2014/29-1 दिनांक 17 फरवरी 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कंडिका 14.5 अनुसार उचित मूल्य की दुकान में संधारित समस्त अभिलेख आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत लोक दस्तावेज होंगे तथा दुकान आवंटन अपीलीय अधिकारी होगा। उपरोक्त वैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद भी खाद्य नियंत्रक रीवा द्वारा आवेदक को उसके द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में उपरोक्त अनुसार आवेदन उचित मूल्य दुकान के विक्रेता अर्थात लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश न देते हुए अनावश्यक रूप से जानकारी उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त सहकारिता रीवा तथा महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा को लेख किया गया।

4- आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी रीवा जिले में मध्यप्रदेश शासन द्वारा राशन की दुकान में कार्य करने वाले विक्रेता को प्रतिमाह वेतन कितनी देय है और क्या यह वेतन प्रतिमाह दी जाती है अथवा छः माही या वार्षिक दृष्टि से।

वस्तुस्थिति यह है कि राशन की दुकान में कार्य करने वाले व्यक्ति अता को खाद्य विभाग द्वारा प्रतिमाह 8400 रुपए कमीशन में ₹6000 प्रतिमाह मानदेय देने का प्रावधान है. किंतु खाद्य नियंत्रक रीवा द्वारा विभागीय व्यवस्था की जानकारी आवेदक को उपलब्ध ना कराते हुए अनावश्यक रूप से उपायुक्त सहकारिता व महाप्रबंधक को अंतरित किया। जो उक्त जानकारी को संधारित नहीं करते।

5- आवेदक द्वारा चाही जानकारी कि रीवा जिले के समस्त कोटेदार का नाम तथा कार्यरत दुकान की सूची के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि खाद्य विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को पीओएस मशीन उपलब्ध कराकर खाद्यान्न का वितरण कराया जाता है। तथा दुकानवार पूरे जिले में खाद्यान्न का आवंटन आदेश भी प्रति माह जारी किया। अतः उक्त जानकारी खाद्य नियंत्रक रीवा के कार्यालय द्वारा आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता था। किंतु खाद्य नियंत्रक रीवा द्वारा विभागीय व्यवस्था की जानकारी आवेदक को उपलब्ध ना कराते हुए अनावश्यक रूप से उपायुक्त सहकारिता रीवा तथा महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा को अंतरित किया गया।

6- आवेदक द्वारा चाही जानकारी कि रीवा जिले कि उन विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराई जाए जिन्हें 6 माह या उससे अधिक समय से वेतन नहीं मिला है ऐसे लंबित वेतन वाले सेल्समेनों की सूची उपलब्ध कराई जाए। के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि कार्यालय उपायुक्त सहकारिता रीवा में उपरोक्त कोई जानकारी संधारित नहीं होती है।

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

7- आवेदक द्वारा जानकारी चाही गई है कि जिन विक्रेताओं को छह माह अथवा उससे अधिक समय से वेतन लंबित है उसका कारण बताया जाए। वस्तुस्थिति यह है कि कार्यालय उपायुक्त सहकारिता रीवा में उपरोक्त कोई जानकारी संधारित नहीं होती है।

8- आवेदक द्वारा जानकारी चाही गई है कि रीवा जिले में ब्लाक वार उन हितग्राही की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिन्हें अंगूठे का आधार पर पीडीएस प्रणाली का खाद्यान्न जनवरी-फरवरी 2020 में नहीं मिला हो जबकि उनके नाम पर खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि कार्यालय उपायुक्त सहकारिता रीवा में उपरोक्त कोई जानकारी संधारित नहीं होती है।

9- आवेदक द्वारा यह जानकारी चाही गई है कि रीवा जिले की ब्लॉक वार पंचायत वार उन समस्त हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिनके परिवार के किसी भी सदस्य का आधार मैपिंग नहीं होने पर, पीडीएस प्रणाली से खाद्यान्न से वंचित रखा गया है। वस्तुस्थिति यह है कि कार्यालय उपायुक्त सहकारिता रीवा में उपरोक्त कोई जानकारी संधारित नहीं होती है।

10- उपरोक्त अनुसार वस्तु स्थिति से स्पष्ट है कि आवेदक श्री शिवानंद द्विवेदी के द्वारा चाही गयी जानकारी का संधारण कार्यालय उपायुक्त सहकारिता रीवा में संधारित ना होने का कारण उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।श्रीमान के आदेश दिनांक 07/12/2020 के कंडिका 8 में दिए गए निर्देश के परिपालन में आवेदक को कार्यालय पत्र 867 दिनांक 04/07/2020 के द्वारा खाद्य नियंत्रक रीवा को भेजे गए प्रतिवेदन की प्रति तथा खाद्य विभाग द्वारा विक्रेता को प्रतिमाह निर्धारित मानदेय के संबंध में दस्तावेज संलग्न कर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूं।

कृपया उक्त अनुसार उत्तर से सहमत होते हुए अधोहस्ताक्षरी को जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त करने की कृपा करें।

(C) आयोग द्वारा सुनवाई दि0 07/12/2020 को श्री आर. एस. भदौरिया, (धारा 5(4) के तहत) लोक सूचना अधिकारी/महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रीवा द्वारा स्पष्ट रूप से आरटीआई एक्ट की धारा 7(1) के उल्लंघन करने के कारण उन्हें आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20(1) के तहत राशि रू0 25,000/- के जुर्माने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। श्री आर. एस. भदौरिया द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रतिवेदन दिनांक 14/12/2020 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में निम्नानुसार लेख किया गया है :-

1- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सहकारी बैंकों में लागू नहीं होने से लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। परिणामत: बैंक में पदस्थ अधिकारी लोक अथवा डीम्ड सूचना अधिकारी के अंतर्गत नहीं आने से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। उपरोक्त वांछित

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

जानकारी से स्पष्ट है कि समस्त जानकारी बैंक से संबंधित ना होने से खाद्य विभाग को उपलब्ध कराई जानी थी जिसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत भी किया गया था।

2- यहां यह स्पष्ट किया जा रहा है कि विक्रेता संस्था में अर्थात सहकारी संस्थाओं में कार्यरत रहते हैं। सहकारी संस्थाओं का संचालन नियंत्रण पर्यवेक्षण आदि समस्त दायित्व संस्था के स्वतंत्र इकाई संचालक मंडल को प्राप्त है जिनके नियंत्रण के अधीन ही संस्थाएं कार्य करती हैं। विक्रेताओं को खाद्य आवंटन खाद्य विभाग द्वारा किया जाता है और खाद्यान्न का वितरण भी विक्रेताओं के द्वारा ही किया जाता है तथा खाद्यान्न वितरण कराने हेतु खाद्य विभाग द्वारा कमीशन प्रदान किया जाता है। जिसमें विक्रेता को पारिश्रमिक एवं विक्री केंद्र का व्यवस्थापन व्यय किया जाता है। इस प्रकार उक्त आशय की जानकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा में संधारित नहीं की जाती है।

3- उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट अनुरोध है कि मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक /F7-19(2-2)2014/29-1 दिनांक 17/02/2020 के द्वारा यह स्पष्ट निर्देश व प्रावधान जारी किए गए कि उचित मूल्य दुकान के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित संधारित समस्त अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोग दस्तावेज होंगे उचित मूल्य दुकान का विक्रेता जहां संस्था द्वारा कोई नियुक्त ना किया गया हो अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी होगा तथा दुकान आवंटन अधिकारी अपीलीय अधिकारी होगा।

4- उक्त अनुसार आवेदक को वांछित जानकारी हेतु खाद्य विभाग ही उत्तरदायी है और संबंधित दुकान का विक्रेता लोक सूचना अधिकारी एवं दुकान आवंटन अधिकारी अपीलीय अधिकारी है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक

कहीं भी शामिल नहीं है। अत्यंत महत्वपूर्ण यह भी है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण रूप से वित्त पोषित नहीं है। ऐसी दशा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावी नहीं है। ततसंबंध में भारतीय बैंक रिजर्व प्रेस रिलेशंस डिवीजन केंद्रीय कार्यालय मुंबई द्वारा भी कंफर्म किया गया है कि सहकारी बैंक सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते है। ततसंबंध में राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा अपने पत्र क्रमांक /Nafscob/G-23/2008/31 दिनाँक 23/04/2007 जारी किया जाकर उक्ताशय का निर्देश जारी किया गया हैं।तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक भोपाल द्वारा भी अपने पत्र क्रमांक /मुख्या/सा. प्र./2358 भोपाल द्वारा भी लेख किया गया हैं कि सहकारी बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आती है।

5- उक्त अनुसार जानकारी से आवेदक श्री शिवानंद द्विवेदी के आवेदन के संबंध में उपायुक्त सहकारिता रीवा द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक सूचना अधि./2020/803 रीवा दिनांक 8/06/2020 के संदर्भ में उपरोक्त अनुसार बैंक के पत्र क्रमांक /स्था./2020 - 21 रीवा दिनांक 8/07/2020 से अवगत भी कराया जा चुका था। सुलभ संदर्भ हेतु जवाब के साथ प्रति प्रथक से संलग्न की जा रही हैं।

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

यह कि श्रीमान उपायुक्त सहकारिता रीवा को उनके पत्र के संदर्भ में बैंक के पत्र क्रमांक स्थापना/2836/19-20 रीवा दिनांक 30/03/2020 एवं कलेक्टर कार्यालय खाद्य जिला रीवा का पत्र क्रमांक 16/खाद्य/2020 रीवा दिनांक 02/03/2020 के माध्यम से सदस्य की जानकारी जिला सहकारी बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन नहीं आते हैं, से अवगत कराया जा चुका था। जिस की प्रतियां भी सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही हैं।

6- इस प्रकार कार्यालय कलेक्टर खाद्य रीवा मध्य प्रदेश के द्वारा दिनांक 11/02/2020 को पत्र क्रमांक/16/खाद्य/20 रीवा को किया गया आवेदन का अंतरण पूर्णता विधि विरुद्ध व अधिकारिता से परे होने से जिला सहकारी बैंक रीवा किसी भी प्रकार की जानकारी देने हेतु उत्तरदायी नहीं रहा है। आवेदन का अंतरण सीधे विक्रेता को किया जाना था जो नहीं किए जाने से जिला आपूर्ति नियंत्रक रीवा ही एकमात्र रूप से उत्तरदायी हैं।

7- यह भी स्पष्ट अनुरोध किया जा रहा है कि आरटीआई एक्ट 2005 बैंक में लागू नहीं होने से बैंक में लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है परिणामत: लोक सूचना अधिकारी अथवा डीम्ड लोक सूचना अधिकारी बैंक को माना जाने का कोई औचित्य ही उत्पन्न नहीं होता। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में परिभाषित प्रावधान अनुसार डीम्ड लोक सूचना अधिकारी की कोई

परिभाषा नहीं दी गई है। कि कैसे वह किस आधार पर डीम्ड लोक सूचना अधिकारी माना जा कर बैंक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। समझ से परे है जारी सूचना पत्र कार्रवाई योग्य ना होने से बैंक के विरुद्ध कार्यवाही नस्तीबद्ध योग्य है।

8- उक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि आवेदक शिवानंद द्विवेदी द्वारा आवेदन पत्र जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम रीवा को प्रस्तुत किया गया और अपील भी जिला आपूर्ति विभाग के विरुद्ध ही प्रस्तुत है। कि पक्षकार जिला आपूर्ति विभाग ही है। अनआवेदक बैंक के जब प्रकरण के पक्षकार ही नहीं है तब द्वितीय अपील के दौरान ₹25000 राशि के अर्थदंड की नोटिस जारी किया जाना।वह भी बिना सुनवाई का अवसर दिए नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध एवं विधि के प्रावधान के विरुद्ध होने से प्रकरण वह नोटिस विशेष खर्चे सहित बैंक के विरुद्ध निरस्त किए जाने योग्य है।

9- अस्तु उपरोक्त अनुसार जवाब में उल्लेखित तथ्य परिस्थितियों से स्पष्ट है कि आवेदक शिवानंद द्विवेदी द्वारा वांछित जानकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा में संधारित अभिलेखित नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं था। अतः माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या 6454/2011 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में यह निर्णय किया जहां ऐसी लोक सूचना प्राधिकारी के किसी कानून अपना नियमों अथवा वे नियमों के अंतर्गत बनाए रखे जाना अपेक्षित नहीं है

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

अधिनियम लोक प्राधिकरण पर ऐसी अनुपलब्ध सूचना को एकत्र करने अथवा मिलान करने और तत्पश्चात किसी आवेदक को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते है।

श्रीमान के आदेश दिनांक 07/12/2020 के कंडिका (8) में दिए गए निर्देश के परिपालन में यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है जिसे स्वीकार करते हुए अधोहस्ताक्षरी को जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त करने हेतु महती कृपा करेंगे।

(6) आयोग का मत :-

(A) श्री एम.एन.एच. खान, फूड कंट्रोलर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जिला रीवा म०प्र० की भूमिका –

1- प्रकरण में शिकायतकर्ता का आवेदन दिनांक 06/02/2020 का है शिकायतकर्ता चाही गई जानकारी प्राप्त करने का हकदार था। आयोग लोक सूचना अधिकारी, श्री एमएनएच खान द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करता है क्योंकि श्री एमएनएच खान द्वारा पद भार ग्रहण करने के पश्चात आरटीआई के तहत लंबित प्रकरणों का अवलोकन नहीं किया गया था। कोई भी लोक सूचना अधिकारी केवल यह कहकर अपने कर्तव्यों से मुह नही फेर सकता कि कोई प्रकरण पूर्व अधिकारी के समय का है, चूंकि स्वर्गीय श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर की मृत्यु कोरोना महामारी से हुआ है अतः श्री खान का यह उत्तरदायित्व बनता है कि उनके पूर्व पदस्थ अधिकारी के समय कौन सा प्रकरण प्रचलन में था उसका अवलोकन कर लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही करें।

2- आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट है कि गैर कानूनी ढंग से और विधि विरुद्ध तरीके से लोक सूचना अधिकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जिला रीवा द्वारा इस प्रकरण में कार्यवाही की गई है और गलत तरीके से जानकारी रोकने का कार्य किया है। आयोग इनकी परिनिन्दा करता हैं।

3- श्री खान के उपरोक्त कथन से आयोग के समक्ष यह स्पष्ट है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मध्यप्रदेश शासन ने यदि ₹6000 मासिक सेल्समैन को वेतन/पारितोष के रूप में देने का आदेश दिया है। और यदि सेल्समैन को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा तो यह स्पष्ट रूप से शासन के आदेशों की अवहेलना है।

4- श्री खान का कथन है कि उन्हें आरटीआई में वांछित जानकारी इसलिए उपलब्ध नहीं हो पायी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों पर उनका कोई अधिकार नहीं है एवं ग्रामीण क्षेत्र की दुकाने अनुविभागीय अधिकारी के नियंत्रण में है। श्री खान का यह कथन आयोग के समक्ष स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अगर जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं थी तो वे अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जिस लोकप्राधिकारी के पास जानकारी उपलब्ध थी वहां आरटीआई आवेदन अंतरित कर सकते थे।

5- वांछित जानकारी आरटीआई की धारा 2(i) के तहत रिकार्ड की श्रेणी में आती है एवं धारा 2(f) के तहत सूचना की श्रेणी में आती तथा वह बिना विलंब के अपीलार्थी को प्रदान की जा सकती थी। आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 06/02/2020 को दायर किया गया था। अधिनियम की धारा 7(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी को 30 दिवस में आवेदक को

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

जानकारी उपलब्ध करानी थी, परंतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

(B) श्री विजय कुमार पांडे, उपायुक्त, सहकारिता विभाग जिला रीवा म०प्र० की भूमिका –

1- आयोग प्रकरण में श्री विजय कुमार पांडे द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करता हैं। क्योंकि श्री पाण्डेय का यह कथन कि खाद्य विभाग द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश न देते हुए अनावश्यक रूप से जानकारी उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त सहकारिता रीवा तथा महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा को लेख किया गया। उपरोक्त कथन को स्वीकार नही किया जा सकता है क्योंकि आरटीआई आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी को केवल खाद्य विभाग द्वारा प्रदान नही कराया जा सकता था। आयोग के आदेश दिनाँक 07/12/2020 पश्चात उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा द्वारा बिंदु क्रमांक 1की जानकारी प्रदान करायी गयी हैं। इस जानकारी को आयोग में सुनवाई के दौरान आवेदक श्री शिवानंद द्विवेदी द्वारा एक पत्र प्रस्तुत किया गया।जिसमें पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश द्वारा जारी पत्र में विक्रेताओं को मानदेय/वेतन संबंधी जानकारी दर्शाया गया हैं। श्री पाण्डेय के जबाब तथा श्री द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि बिंदु क्रमांक 1 की जानकारी उपायुक्त सहकारिता को थी किंतु जानकारी उपलब्ध न कराकर आवेदन को दिनाँक 26/02/2020 को महाप्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक जिला रीवा को अंतरित किया गया।

2- उपायुक्त सहकारिता द्वारा अपने पालन प्रतिवेदन में सर्वप्रथम पैराग्राफ में तथा आवेदक के आरटीआई आवेदन में बिंदु क्रमांक 2 के संदर्भ में भी लेख किया गया कि खाद्य नियंत्रक रीवा द्वारा आवेदन उचित मूल्य दुकान के विक्रेता अर्थात लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश न देते हुए तथा विभागीय व्यवस्था की जानकारी आवेदक को उपलब्ध ना कराते हुए अनावश्यक रूप से उपायुक्त सहकारिता रीवा तथा महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा को अंतरित किया गया।

3- श्री पाण्डेय द्वारा पालन प्रतिवेदन में कथन किया गया कि महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा ने पत्र क्रमांक 646 दिनाँक 08/07/2020 तथा पत्र क्रमांक 2836 दिनाँक 30/03/2020 को उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा को पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि सहकारी बैंक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आती हैं। आयोग का मत हैं कि सहकारी बैंक केवल इस आधार पर जानकारी नहीं दे रहा है क्योंकि वह आरटीआई एक्ट के अंतर्गत नही आते हैं । यह बिल्कुल सही नही है। यदि रजिस्टार चाहे तो उपरोक्त बैंक से भी जानकारी प्राप्त कर सकता हैं। और बैंक द्वारा जानकारी नहीं देने की स्थिति में उपायुक्त बैंक पर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

4- श्री पाण्डेय द्वारा अपने प्रतिवेदन में आरटीआई आवेदन में बिंदु क्रमांक 5, 6 का उल्लेख किया गया हैं । बिंदु क्रमांक 5 , 6 में चाही गयी जानकारी का इस प्रकरण से संबंध नही है।

5- आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट है कि गैर कानूनी ढंग से और विधि विरुद्ध तरीके से इस प्रकरण में डीम्ड पीआईओ 1 श्री विजय कुमार पाण्डेय द्वारा कार्यवाही की गई है और गलत तरीके से जानकारी रोकने का कार्य किया है। आयोग इनकी परिनिन्दा करता हैं।

6 विजय कुमार पांडे का आयोग के समक्ष यह कथन की आरटीआई से संबंधित कोई भी जानकारी मेरे कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। श्री खान द्वारा उपायुक्त सहकारिता को आरटीआई आवेदन

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

अंतरित करने का कोई औचित्य नहीं है। आयोग श्री पाण्डेय के उपरोक्त कथन से असहमति व्यक्त करता है। क्योंकि सहकारी समितियां उपायुक्त सहकारिता के अंतर्गत कार्यरत हैं इस स्थिति में उपायुक्त सहकारिता को सहकारी समितियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए था।

7 मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच (जलगांव जिला अर्बन को-ओप बैंक बनाम महाराष्ट्र राज्य 13/02/2017) मैं निर्णय दिया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (एच) में दी गई 'लोक प्राधिकरण' की परिभाषा मे रजिस्ट्रार और उसके अधीनस्थ अधिकारी को सम्मिलित किया गया है सहकारी समितियों से संबंधित जानकारी रजिस्ट्रार से प्राप्त की जा सकेगी।

8 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 7 अक्टूबर, 2013 को थलप्पलम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. बनाम केरल राज्य और ओआरएस मैं यह फैसला दिया कि सहकारी समितियों अधिनियम के तहत काम करने वाले सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत लोक प्राधिकारी है।

9- वांछित जानकारी आरटीआई की धारा 2(i) के तहत रिकार्ड की श्रेणी में आती है एवं धारा 2(f) के तहत सूचना की श्रेणी में आती तथा वह बिना विलंब के अपीलार्थी को प्रदान की जा सकती थी। आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 06/02/2020 को दायर किया गया था। अधिनियम की धारा 7(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी को 30 दिवस में आवेदक को जानकारी उपलब्ध करानी थी, परंतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

10- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आयोग के समक्ष यह स्पष्ट है कि श्री विजय कुमार पांडे के पास वांछित जानकारी उपलब्ध थी एवं वह वांछित जानकारी बिना अधिनियम की धारा 5(4) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को अंतरित किये आवेदक को प्रदाय की जा सकती थी। यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 7(1) का उल्लंघन है। इससे यह स्पष्ट है कि श्री विजय कुमार पांडे की मंशा अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय करने की नहीं थी।

(C) श्री आर. एस. भदौरिया, महाप्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक जिला रीवा-की भूमिका –

1- आयोग के समक्ष श्री आर. एस. भदौरिया, महाप्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक जिला रीवा द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करता हैं। कि सहकारी बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आती है। क्योंकि श्री भदौरिया का कथन कि इस प्रकार कार्यालय कलेक्टर खाद्य रीवा मध्य प्रदेश के द्वारा दिनांक 11/02/2020 को पत्र क्रमांक/16/खाद्य/20 रीवा द्वारा किया गया आवेदन का अंतरण पूर्णता विधि विरुद्ध व अधिकारिता से परे था तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में परिभाषित प्रावधान अनुसार डीम्ड लोक सूचना अधिकारी की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। कि कैसे वह किस आधार पर डीम्ड लोक सूचना अधिकारी माना जा कर बैंक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, समझ से परे है। इस कथन से असहमति व्यक्त करता हैं। क्योंकि आरटीआई एक्ट की धारा 5(4) में यह प्रावधान हैं कि यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा

Scanned with OKEN Scanner

जिसे वह अपने कार्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे तथा आरटीआई एक्ट की धारा 5 (4) में यह प्रावधान हैं कि कोई अधिकारी जिसकी उपधारा 4 के अधीन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनो के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी माना जाएगा।

2- चूँकि उपायुक्त सहकारिता द्वारा भी महाप्रबंधक को जानकारी प्रदान करने हेतु पत्र का अंतरण किया गया था इस संदर्भ में यदि हम मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के फैसले को देखे जहाँ जलगांव जिला अर्बन को-ओप बैंक बनाम महाराष्ट्र राज्य 13 फरवरी, 2017 को यह फैसला दिया कि धारा 2 (एच) में दी गई 'लोक प्राधिकरण' की परिभाषा यह दर्शाता है कि रजिस्ट्रार चाहे तो सहकारी बैंकों से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

3- आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट है कि गैर कानूनी ढंग से और विधि विरुद्ध तरीके से इस प्रकरण में श्री आर एस भदौरिया द्वारा कार्यवाही की गई है और गलत तरीके से जानकारी रोकने का कार्य किया है। आयोग इनकी परिनिन्दा करता है।

4- आर एस भदौरिया का यह कथन कि सहकारी बैंकों पर आरटीआई कानून लागू नहीं होता है। यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि सहकारी बैंकों पर सरकार का नियंत्रण होता है। यदि हम औरंगाबाद हाई कोर्ट और थलप्पलम केस अध्ययन करते हैं तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सहकारी बैंकों पर प्रत्यक्षतः आरटीआई कानून लागू नहीं होता है किंतु अप्रत्यक्ष तौर पर लागू होता है क्योंकि रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी बैंकों की जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। तथा ऐसी सहकारी समितियां जिसमें सब्सटेंशियल फाइनेंस की परिभाषा में शासन का ₹50000 या 50% अनुदान प्रदान किया जाता है तब वह सहकारी समितियां आरटीआई के अंतर्गत आती है।

5- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जिला रीवा मध्यप्रदेश के द्वारा दिनाँक 08/12/2020 को जारी पत्र क्रमांक/विपणन/2045 से आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट है कि महाप्रबंधक स्तर पर आरटीआई आवेदन में मांगी गई जानकारी संधारित नहीं होगी किंतु महाप्रबंधक अपने अधीनस्थों से यह जानकारी प्राप्त कर सकते थे। क्योंकि समिति प्रबंधक सहकारी बैंक के कर्मचारी हैं तथा समिति प्रबंधक, महाप्रबंधक के नियंत्रणधीन होते हैं।

6- उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में गैर कानूनी ढंग तथा विधि विरुद्ध तरीके से फूड कंट्रोलर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जिला रीवा उपायुक्त ,सहकारिता जिला रीवा तथा महाप्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक जिला रीवा के द्वारा कार्यवाही की गई है आयोग इनकी परिनिंदा करता है उपरोक्त अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से जानकारी रोकने का कार्य किया गया है।" अगर उपरोक्त अधिकारियों इरादा आवेदक को जानकारी प्रदान करने का होता तब तीनों ही अधिकारी सामान्य प्रयास भी करते तब भी आसानी से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को प्रदान की जा सकती थी।

7- वांछित जानकारी आरटीआई की धारा 2(I) के तहत रिकार्ड की श्रेणी में आती है एवं धारा 2(f) के तहत सूचना की श्रेणी में आती तथा वह बिना विलंब के अपीलार्थी को प्रदान की जा सकती थी। आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

आवेदक द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 06/02/2020 को दायर किया गया था। अधिनियम की धारा 7(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी को 30 दिवस में आवेदक को जानकारी उपलब्ध करानी थी, परंतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

8- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आयोग के समक्ष यह स्पष्ट है कि श्री आर. एस. भदौरिया के पास वांछित जानकारी उपलब्ध थी एवं वह वांछित जानकारी बिना अधिनियम की धारा 5(4) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को अंतरित किये आवेदक को प्रदाय की जा सकती थी। यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 7(1) का उल्लंघन है। इससे यह स्पष्ट है कि श्री आर. एस. भदौरिया की मंशा अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय करने की नहीं थी।

(7) प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आयोग द्वारा संस्थित जांच में निम्नलिखित तथ्य सामने आये :-

(7) (i) सैलरी किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा अहम विषय हैं। आयोग के समक्ष कई पीडीएस के सेल्समैन द्वारा आरटीआई आवेदन दायर कर अपने वेतन भत्तों की जानकारी चाही गयी थी। इन सेल्समैन द्वारा आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायी गयी कि शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप उन्हें वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुरूप उन्हें वेतन की जानकारी से वंचित रखा जा रहा है।

रीवा जिले के पीडीएस के सेल्समेन के वेतन संबंधी जानकारी पर कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला रीवा द्वारा निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये गये :-

आयोग द्वारा विंदु क्रमांक 3 की जानकारी का अवलोकन किया गया जिसमें विक्रेताओं के वेतन संबंधी जानकारी दर्शायी गयी हैं जानकारी में चौकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। रीवा जिले में कुल 459 विक्रेता कार्यरत हैं किसी भी विक्रेता को प्रत्येक माह वेतन प्रदान नही किया जा रहा है। 5 विक्रेता जिन्हें लगभग 7-10 वर्ष से वेतन प्रदान नही किया जा रहा है। लगभग 70 से अधिक विक्रेता ऐसे हैं इन्हें 2 साल से अधिक समय से वेतन प्रदान नही किया जा रहा है। वेतन न दिए जाने के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं।

1) बारदान /खाद्यान्न की राशि जमा न होने के कारण - 241 विक्रेता

2) नागरिक आपूर्ति से कमीशन की राशि प्राप्त न होने के कारण -52 विक्रेता

3) उद्दत सदस्य - 53 विक्रेता

4) बचत खाते में राशि न होना - 25 विक्रेता

5) लेखा जोखा प्रस्तुत न करने के कारण - 5 विक्रेता

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

6) संस्था के बचत खाते में कमीशन की राशि समय पर प्राप्त न होना – 5 विक्रेता

7) वार्षिक वेतन दिया जाना – 4 विक्रेता

8) बकाया देय भुगतान की कार्यवाही की जा रही है – 9 विक्रेता

9) कोई कारण उपलब्ध नही – 20 विक्रेता

10) अन्य कारण –

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विक्रेताओ का वेतन वर्षो से लंबित है यह विक्रेताओ के मानवाधिकार तथा मौलिक अधिकारों, श्रम कानूनों का उल्लंघन हैं। यदि विक्रेताओं के द्वारा बारदान/खाद्यान्न की राशि जमा नही की जा रही है या नागरिक आपूर्ति से कमीशन की राशि प्राप्त नही होने से वेतन नही दिया जा रहा है। बिना वेतन पाये सेल्समैन पीडीएस सिस्टम को किस तरह और कैसे संचालित कर रहे है यह जांच का विषय है।

(7) (ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की वर्तमान वेतन व्यवस्था-

भंडार ग्रह, स्वयं सहायता समूह, सेवा सहकारी समितियां तथा अन्य संस्थाएं वर्तमान समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को संचालित करती हैं खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग उपरोक्त संस्थाओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराती हैं, तत्पश्चात शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाता है

शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर कार्यरत सेल्समैन को खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा ₹6000 +₹2400 कमीशन के रूप में मासिक वेतन सुनिश्चित किया जाता हैं। यह कमीशन सहकारी समितियों के कमीशन खाते में प्रदान किया जाता है। ततपश्चात सहकारी समितियां कमीशन खाते से राशन दुकान में कार्यरत सेल्समेनों को वेतन चेक के माध्यम से प्रदान किया जाता हैं। तथा सेल्समेनों के द्वारा सहकारी बैंक (ब्रांच) में चेक को भुना कर वेतन को प्राप्त करते हैं।

(7) (iii) RTI ACT में पीडीएस सेल्समैन का वेतन स्वत: उपलब्ध कराने का प्रावधान है-

आयोग के समक्ष उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में कार्यरत सेल्समैन लोक सेवक हैं। शासन द्वारा (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश कमांक एफ-7-19(2-

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

2)/2014/29-1) दिनांक 17/02/2020 से इन सभी सेल्समेनों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया है और लोक सेवक से संबंधित समस्त दस्तावेज/सूचनायें (नियुक्ति, वेतन, पदमुक्ति) आदि भी लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। शासन के द्वारा सेल्समैनों को हर माह वेतन दिया जा रहा है किन्तु इसका रिकॉर्ड न तो वेतन प्राप्तकर्ता को और न ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। आयोग के समक्ष यह स्पष्ट है कि विभागों में अधिकारी, कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (B) (x) के तहत वेतन पत्रक की जानकारी स्वतः ही सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान हैं।

(8) पीडीएस संचालन और अनाज उपार्जन में शामिल सहकारी समिति आरटीआई अधिनियम के दायरे में-

पीडीएस संचालन एवं अनाज उपार्जन में शामिल सहकारी समितियों पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के प्रावधानों की जानकारी के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत जांच संस्थित की गयी। तत्पश्चात यह पाया गया कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में वर्ष 2020-21 में केवल खरीफ मे धान खरीदी केंद्रों पर रीवा जिले में संचालित लगभग 122 समितियों द्वारा कुल 3450975 क्विंटल धान की खरीदी की गई। यदि समितियों के द्वारा की गई खरीदी का औसत निकालें तब 28286 क्विंटल धान प्रति समिति होता हैं। केवल कमीशन उपार्जन समिति ₹16 प्रति क्विंटल (जिसमे मंडी लेबर व्यय, हैंडलिंग एवं मूवमेंट व्यय को शामिल नही किया गया हैं) की गणना करने पर (28286×16= 4,52,576) लगभग चार लाख बावन हजार रुपये प्रत्येक समिति को कमीशन के रूप में प्राप्त होता है। यदि मंडी लेबर व्यय, हैंडलिंग एवं मूवमेंट व्यय को शामिल करे तो यह राशि और अधिक होगी। आयोग के संज्ञान में है कि वर्तमान में अनाज उपार्जन पर प्रत्येक सहकारी समिति को डेढ प्रतिशत का कमीशन प्राप्त होता है। आयोग के समक्ष आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बरमण्डल जिला-धार का तलपट 01/04/2022 से 31/03/2023 तक अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त तलपट में शासकीय अंश पुंजी राशि रू0 3211250/- एवं खाद पर कमीशन राशि रू0 528762/- उपभोक्ता सामग्री पर कमीशन राशि रू0 1457716/- समर्थन मूल्य गेहू पर कमीश राशि रू0 188441/- बारदान से प्राप्त आय राशि रू0 118240/- दर्ज है।

आयोग के संज्ञान में यह तथ्य है कि सहकारी समितियों में अनाज बेचने के लिए किसानों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप पात्रता अनुसार पंजीयन कराया जाता है। उक्त पंजीयन ऑनलाईन शासकीय पोर्टल पर भी दर्ज किया जाता है। वहीं अनाज उपार्जन में शामिल सहकारी समितियों का शासन द्वारा तय दिशा-निर्देश मापदंड के अनुक्रम में अनाज उपार्जन की पूरी कार्यवाही की जाती है। अनाज उपार्जन की पूरी कार्यवाही एवं पीडीएस संचालन की व्यवस्था शासन के अधीन होने से शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुक्रम में ही सहकारी समितियां द्वारा अनाज उपार्जन एवं पीडीएस दुकानों का संचालन किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रत्येक पीडीएस दुकानों में कार्यरत सेल्समैन (वे समितियां जो राशन की दुकानों का संचालन करती हैं। एक सहकारी समिति लगभग 3 से 4 राशन की दुकानों का संचालन करती हैं) की सैलरी कमीशन के रूप में निर्धारित किया गया वेतन न्यूनतम ₹6000 होती है, यदि केवल एक राशन की दुकान में यदि ₹6000 मासिक की गणना की जाए तो 1 वर्ष में लगभग ₹72000 खाद्य विभाग द्वारा एक सेल्समैन को वेतन के रूप में प्रदान किया जाता है। वही यदि एक सेल्समैन द्वारा 2 दुकानों का संचालन किया जाता है इस स्थिति में 6000+2400= ₹8400 खाद्य विभाग द्वारा समितियों को सेल्समैन को वेतन देय होता हैं और यदि गणना की जाए तो 1 वर्ष में लगभग ₹ 1,08,000 खाद्य विभाग द्वारा एक सेल्समैन को वेतन के रूप में प्रदान किया जाता है।

(8) (i) *आयोग के समक्ष उपरोक्त संस्थित जाँच से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में संचालित सहकारी समितियां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा H के तहत लोक प्राधिकारी हैं क्योंकि सहकारी समितियों का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत होता हैं। सहकारी समितियां मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियंत्रणधीन हैं तथा सब्सटेंशियल फाइनेंस की प्रतिवर्ष वास्तविक टर्नओवर का 50% या रु 50,000 की सीमा को पार करती है। तथा लोक प्राधिकारी की श्रेणी में होने से आरटीआई एक्ट की धारा 2 उपधारा F के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिये बाध्य हैं।*

(9) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(H) के तहत लोक प्राधिकारी कौन होगा तथा धारा 2 (F) में सूचना के संदर्भ में वर्णित प्रावधान।

2(h) लोक प्राधिकारी से तात्पर्य से है।

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन,

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा,

(ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गईं अन्य विधि द्वारा,

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत सरकारी संस्था से अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत समुचित सरकार के स्वामित्वधीन, नियंत्रणधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा,

(1) पूर्णतया वित्त पोषित कोई गैर सरकारी संगठन

(2) कोई अन्य निकाय भी है

2(F) सूचना से तात्पर्य

सूचना से अभिप्राय है कि किसी रूप में कोई ऐसी सामग्री, जिसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सम्मिलित है, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है।

(10) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सहकारी समितियाँ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (H) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी कैसे है?

उपसचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17/02/2020 को जारी पत्र क्रमांक F 7-19(2-2)/2014/29-1 में यह आदेशित किया था कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 14(5) में उचित मूल्य दुकान के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित संधारित समस्त अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक़ दस्तावेज होंगे एवं उचित मूल्य दुकान का विक्रेता जहां संस्था द्वारा अन्य कोई भी नियुक्ति ना किया गया हो अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी होगा एवं दुकान आवंटन अधिकारी अपीलीय अधिकारी होगा। उपसचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के इस आदेश पत्र से आयोग के समक्ष यह स्पष्ट है की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (H) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आता है।

(11) आयोग इस प्रकरण में निम्नलिखित सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेशों को संज्ञान में लेता है।

मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच

जलगांव जिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाम महाराष्ट्र राज्य **13 फरवरी, 2017** को यह फैसला दिया कि धारा 2 (एच) में दी गई 'लोक प्राधिकरण' की परिभाषा यह दर्शाता है कि इस तरह के सार्वजनिक अधिकार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा बनाए जा सकते हैं। यह पहले से ही देखा गया है कि

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

सहकारी समितियों अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार और उसके अधीनस्थ अधिकारियों की तरह अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और उपरोक्त चीजों पर उनका नियंत्रण होता है।

2) सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया **7 अक्टूबर, 2013** को थलप्पलम को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य और अन्य में यह फैसला दिया कि सहकारी समितियों अधिनियम के तहत काम करने वाले सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत लोक प्राधिकारी है।

(12) इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न आदेशों तथा अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों से स्पष्ट है कि सहकारी समितियां सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। आयोग इस आदेश में म0प्र0 शासन के विभिन्न आदेशों तथा अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों को संज्ञान में लेता है।

1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनाँक 04/10/2018 को जारी पत्र क्रमांक 15-02/2018/15-1 के अवलोकन से आयोग के समक्ष यह स्पष्ट है कि सहकारी समितियां मध्यप्रदेश शासन के नियंत्रणधीन है।

2) आयोग के समक्ष यह स्पष्ट है कि सहकारी समितियों का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत होती हैं। तथा सहकारी समितियों में नियुक्त समिति प्रबंधक, लेखापाल, विक्रेता, भृत्य आदि की नियुक्तियां मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नियमो के अंतर्गत होती हैं। वेतन भत्ते आदि का निर्धारण भी मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जाता है ततपश्चात संचालक मंडल को शासन द्वारा निर्धारित वेतन भत्तों को लागू करने हेतु भेज जाता हैं।

3) प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 14/10/2020 को जारी पत्र क्रमांक F-11-37/05/1/9 मे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा H के तहत_
1) कोई ऐसा निकाय जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।
2) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

उपरोक्त दोनों प्रावधानों के संबंध में आयोग द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त से तात्पर्य ऐसे निकाय गैर सरकारी संस्थान से है जिसका प्रति वर्ष वास्तविक टर्नओवर का 50% या रु 50,000 जो भी कम हो, शासन या उसकी किसी संस्था से अनुदान के रूप में वित्तीय रूप से पोषित है। ऐसे समस्त निकाय /गैर सरकारी संस्थाओं को जिन्हें आपके विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है जिसकी राशि रू 50,000 या उसके टर्नओवर

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

का 50% (इसमें से जो भी कम हो) के बराबर हैं। ऐसे निकाय या संस्थान भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में आएंगे एवं इस अधिनियम के तहत जानकारी मांगे जाने पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे।

4) उप–सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2020 को जारी पत्र क्रमांक एफ – 5-10/2020/1क/29-1 में तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जिला रीवा द्वारा दिनांक 8/12/2020 को जारी पत्र क्रमांक विपणन 2045 मे उपार्जन केंद्र प्रभारी को जारी पत्र मे यह स्पष्ट दर्शाया गया है कि फसल की खरीदी करने वाली समितियों को मंडी लेबर व्यय ₹10 प्रति क्विंटल, कमीशन उपार्जन समिति ₹16 प्रति क्विंटल, हैंडलिंग एवं मूवमेंट व्यय 200 मीटर तक ₹5, तथा 200 मीटर से अधिक पर ₹ 8 प्रति क्विंटल कमीशन के रूप में दिया जाएगा।

आदेश

21/03/2024

(1) आयोग के समक्ष प्रस्तुत ए-3286 प्रकरण में शासकीय राशन की दुकान/सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में कार्यरत सेल्समेन के वेतन की जानकारी मांगी गयी है। वहीं शिकायत प्रकरण कमांक सी/0205/रीवा/2021, सी/0221/रीवा/2021, सी/0222/रीवा/2021, सी/0223/रीवा/2021, सी/0235/रीवा/2021, सी/0236/रीवा/2021, सी/0237/रीवा/2021, सी/0238/रीवा/2021, में राशन दुकानों में कार्यरत सेल्समेन ने अपने स्वयं के वेतन की जानकारी मांगी है। साथ ही शिकायत कमांक सी/0398/रीवा/2023 में राशन की दुकानों के संचालन एवं खाद्यान्न उपार्जन में शामिल सहकारी समितियों के विरुध्द सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी नहीं देने की शिकायत की गयी है। आयोग उपरोक्त समस्त प्रकरणों में जानकारी में समानता, एवं जानकारी में व्यापक लोकहित होने एवं समय संसाधन के दृष्टिगत आयोग उक्त समस्त प्रकरणों को एक साथ निराकृत करता है।

(2) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग प्रकरण में आयोग के समक्ष आदेश की कंडिका 6 (आयोग का मत) में वर्णित तथ्यों के अनुसार स्पष्ट है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / फूड कंट्रोलर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जिला रीवा म०प्र०, (धारा 5(4) के तहत) तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/उपायुक्त, सहकारिता विभाग जिला रीवा म०प्र० एवं, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, महाप्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक जिला रीवा द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 06/02/2020 से चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती गयी। वेतन पत्र की वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत स्वतः उपलब्ध होनी थी। जानकारी उपलब्ध न होने के लिए इन सभी विभागों ने एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया। इस प्रकरण में सिर्फ एक अधिकारी विशेष ही दोषी नहीं है। बल्कि विभागों के बीच समन्वयन के अभाव में जानकारी तत्समय उपलब्ध नहीं हो पायी थी। आयोग उक्त प्रकरण में संबंधित

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

तत्कालीन लोक सूचना अधिकारियों को भविष्य के लिये सचेत करते हुये आयोग द्वारा धारा 20 (1) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही से विमुक्त करता है। सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा पाया गया कि पीडीएस के संचालन में शामिल सहकारी समितियों ने प्रारंभिक स्तर पर वांछित जानकारी इसलिये उपलब्ध नहीं करायी क्योंकि उनका तर्क था कि सूचना का अधिकार अधिनियम सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है। आयोग के समक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित द्वारा यह लेख करते हुये प्रकरण में पूर्व में जानकारी इस आधार पर उपलब्ध नहीं करायी कि सूचना का अधिकार उन पर लागू नहीं होता है। एवं उनके द्वारा यह भी लेख किया गया कि उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं के वेतन संबंधी जानकारी खाद्य विभाग से ही उपलब्ध होगी। बाद में प्रकरण में आयोग द्वारा जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपरांत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित द्वारा उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से सहकारी समितियों के विकताओं के वेतन पत्रक की जानकारी आयोग के समक्ष उपलब्ध करायी गयी। शासन के नियमों के अधीन संचालित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के पारदर्शिता के मापदंड के विपरीत कार्यप्रणाली आयोग के समक्ष चिंता का विषय है।

(3) आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(8) (a) के तहत मध्यप्रदेश की समस्त सहकारी समितियां, जो खाद्यान उपार्जन व शासकीय राशन की दुकान/सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का संचालन कर रही हैं, को तत्काल प्रभाव से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन लाता है। (इस आदेश के पेज नंबर. 18, 19, 20, 21 एवं 22 में वर्णित तथ्यों के आधार पर) "लोक प्राधिकारी" की श्रेणी में होने से, सहकारी समितियों पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तत्काल प्रभाव से प्रभावी होता है। खाद्यान्न उपार्जन एवं पीडीएस का संचालन करने वाली सहकारी समितियों के सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन आने से प्रदेश में खाद्यान्न उपार्जन एवं पीडीएस के संचालन में भ्रष्टाचार निरोधी, पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होने के साथ लोक प्राधिकारी की जनता के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। किसानों द्वारा अक्सर खाद्यान्न उपार्जन के समय अनियमितताओं की शिकायत की जाती है। खाद्यान्न उपार्जन एवं पीडीएस संचालन में शामिल सहकारी समितियों के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले भी अक्सर उजागर होते रहते है। खाद्यान्न उपार्जन की पूरी व्यवस्था राज्य शासन के द्वारा स्थापित नियमों के अधीन संचालित होने से उक्त व्यवस्था का सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन होना व्यापक लोकहित में है।

आयोग द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत की गई जाँच से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में संचालित सहकारी समितियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा H के तहत लोक प्राधिकारी हैं क्योंकि सहकारी समितियों का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत होता हैं। उपायुक्त सहकारिता के पास सहकारिता अधिनियम के तहत पर्याप्त अधिकार है कि वे इन सहकारी समितियों से कोई भी दस्तावेज अपने समक्ष समन कर सकते है एवं सहकारिता अधिनियम के अनुरूप कार्य नहीं करने वाली दोषी सहकारी समितियों के विरूद्ध कार्यवाही के भी पर्याप्त अधिकार सहकारिता विभाग के पास है। समितियो में वेतन भत्ते का निर्धारण भी मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जाता है। यह सभी सहकारी समितियां अधिसूचना क्रमांक एफ-11-37-05-1-9 दिनांक 10/10/2005 के तहत शासन द्वारा वित्त पोषित है। यह समितियां मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियंत्रणधीन हैं तथा सब्सटेंशियल फाइनेंस की प्रतिवर्ष वास्तविक टर्नओवर का 50% या रु 50,000 की सीमा को पार करती है। तथा लोक प्राधिकारी की श्रेणी में होने से आरटीआई एक्ट की धारा 2 उपधारा h के तहत जानकारी प्रदाय करने के लिये बाध्य हैं।

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

(4) आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (8) (3) (ii) के तहत लोकप्राधिकारी- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग भोपाल को आदेशित करता है कि खाद्यान्न उर्पाजन एवं पीडीएस के संचालन में शामिल सहकारी समितियों को तत्काल प्रभाव से सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लाते हुये समितियों से संबंधित आरटीआई आवेदनों में वांछित जानकारी को प्रत्येक जिले में उपलब्ध कराने के लिये जिले में पदस्थ विभाग के उपायुक्त, सहकारिता को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता की जवाबदेही आयोग के आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर सुनिश्चित करें। आरटीआई आवेदक उक्त सहकारी समितियों से संबंधित जानकारी को अधिनियम की धारा 3 एवं 6 के तहत प्राप्त करने के लिये जिले में उपायुक्त, सहकारिता के समक्ष आरटीआई आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगें एवं अधिनियम की धारा 19 के तहत जानकारी प्राप्त ना होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त आयुक्त, सहकारिता के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकेंगे।

(5) आयोग के समक्ष पीडीएस के सैल्समेन द्वारा स्वयं के वेतन की जानकारी के लिए अपील एवं शिकायत दायर की गयी है। खाद्व नागरिक एवं आपूर्ति विभाग द्वारा छः हजार रूपये कमीशन के रूप में मासिक वेतन के रूप में सुनिश्चित किया गया है पर सूचना आयोग के लिए इस जानकारी को प्राप्त करना आसान नहीं था। इसके लिए आयोग को जांच संस्थित करते हुए तीन विभागों के समन्वय के पश्चात् ही जानकारी तैयार हो पायी। स्पष्ट तौर से सेल्समैन को दिये जाने वाले वेतन/पारितोष की जानकारी की व्यवस्था राज्य में पारदर्शी नहीं है। आयोग के समक्ष यह स्पष्ट है कि विभागों में अधिकारी, कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (B) (x) के तहत वेतन की जानकारी स्वतः ही सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान हैं। आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(8) (a) के तहत प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भोपाल को आदेशित करता है कि मध्यप्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को आयोग के उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करायें तथा 3 माह के भीतर जिलों में राशन की दुकानों में कार्यरत सेल्समैनों के वेतन की जानकारी को वेबसाइट, पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(6) पीडीएस सेल्समैन के वेतन की जानकारी के संबंध में आयोग द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत संस्थित जांच में आयोग के मत की कंडिका (7)(i) में निम्नलिखित तथ्य सामने आये है:-

आयोग द्वारा अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन के बिंदु क्रमांक 3 की जानकारी का अवलोकन किया गया जिसमें विक्रेताओं के वेतन संबंधी जानकारी दर्शायी गयी हैं जानकारी में चौकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। रीवा जिले में कुल 459 विक्रेता कार्यरत हैं किसी भी विक्रेता को प्रत्येक माह वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। 5 बिक्रेता जिन्हें लगभग 7-10 वर्ष से वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। लगभग 70 से अधिक विक्रेता ऐसे हैं इन्हें 2 साल से अधिक समय से वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। वेतन न दिए जाने के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं।

1) बारदान / खाद्यान्न की राशि जमा न होने के कारण 241 विक्रेता

2) नागरिक आपूर्ति से कमीशन की राशि प्राप्त न होने के कारण -52 विक्रेता

RAHUL

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

TWITTER : @rahulreports

3) उद्दत सदस्य- 53 विक्रेता

4) बचत खाते में राशि न होना -25 विक्रेता

5) लेखा जोखा प्रस्तुत न करने के कारण -5 विक्रेता

6) संस्था के बचत खाते में कमीशन की राशि समय पर प्राप्त न होना-5 विक्रेता

7) वार्षिक वेतन दिया जाना-4 विक्रेता

8) बकाया देय भुगतान की कार्यवाही की जा रही है-9 विक्रेता

9) कोई कारण उपलब्ध नहीं-20 विक्रेता

10) अन्य कारण -

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विक्रेताओ का वेतन वर्षों से लंबित है यह विक्रेताओ के मानवाधिकार तथा मौलिक अधिकारों, श्रम कानूनों का उल्लंघन हैं। यदि विक्रेताओं के द्वारा बारदान/खाद्यान्न की राशि जमा नहीं किया जा रहा है या नागरिक आपूर्ति से कमीशन की राशि प्राप्त नहीं होने से वेतन नही दिया जा रहा है। आयोग द्वारा जानकारी के लिए संस्थित जांच में वेतन संबंधित अनियमितताओं उजागर हुई है इसमें कार्यवाही करना आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय ना होने से प्रकरण को संबंधित लोकप्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। आयोग इस प्रकरण में वेतन पत्रक के दस्तावेज की जानकारी हेतु सिविल प्रक्रिया के तहत संस्थित जांच के बिंदु कमांक 7 (2) (पृष्ठ कमांक 16-17) में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में उपयुक्त कार्यवाही के लिये आयोग के उक्त आदेश की प्रति प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भोपाल को प्रेषित की जाये।

(7) आदेश की प्रति लोक प्राधिकारी – प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग भोपाल आयुक्त, पंजीयक एवं सहकारी संस्थायें, भोपाल म0प्र0, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक नागरिक आपूर्ति विभाग, भोपाल, सम्भागीय कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा म0प्र0 एवं कलेक्टर रीवा को भी उपलब्ध करायी जाये। ताकि वे अपने क्षेत्र/विभाग में सूचना के अधिकार प्रकरण के प्रति सजग रहें। उक्तानुसार अपील का निराकरण कर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
21/03/2024

Scanned with OKEN Scanner

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, ''सूचना भवन'' अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 फैक्स नं. 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in
TWITTER : @rahulreports

A-3286/IC-7/REWA/2020

भोपाल, दिनांक /03/2024

प्रति,

1. लोक प्राधिकारी – आयुक्त,
पंजीयक सहकारी संस्थायें,
विन्ध्याचल भवन,
खंड ग –भूतल
भोपाल (म.प्र.)

2. प्रमुख सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,वल्लभ भवन,
भोपाल (म.प्र.

3 प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग, भोपाल
भोपाल (म.प्र.)

4 श्री एम0एन0एच0 खान,
लोक सूचना अधिकारी/
फूड कंट्रोलर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
जिला–रीवा म0प्र0

5 श्री विजय कुमार पाण्डेय,
लोक सूचना अधिकारी (धारा 5(4) के तहत)
उपायुक्त सहकारिता विभाग, रीवा
जिला–रीवा म0प्र0

6 श्री आर0एस0 भदौरिया,
लोक सूचना अधिकारी (धारा 5(4) के तहत)
महाप्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक,
जिला–रीवा म0प्र0

7 कमिश्नर, रीवा संभाग
जिला–रीवा म0प्र0

8 कलेक्टर,
जिला–रीवा म0प्र0

9 श्री शिवानंद द्विवेदी (अपीलार्थी)
ग्राम कैथा, पोस्ट अमिलिया,
थाना गढ़, तहसील मनगवां,
जिला–रीवा म0प्र0

अनुभाग अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner